भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1933

दिनांक 30.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

जेजेएम और एसबीएम के लिए डिजिटल निगरानी पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन

1933. श्री संदिपनराव आसाराम भुमरेः

श्री निलेश ज्ञानदेव लंकेः

डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगेः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) और स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) के लिए डिजिटल निगरानी पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किए हैं;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र के लातूर, छत्रपति संभाजीनगर और अहिल्यानगर जिलों के विशेष संदर्भ में उन राज्यों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है जिनमें ये पहलें लागू की गई हैं;

(ग) क्या इन तकनीकों से जन शिकायतों के निवारण और सेवाओं में सुधार हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से भविष्य में किस प्रकार पारदर्शिता बढ़ने की संभावना है और इससे महाराष्ट्र के उक्त जिलों को भी किस प्रकार लाभ मिलने की संभावना है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति

(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (घ) भारत सरकार अगस्त 2019 से राज्यों की भागीदारी से जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल कार्यान्वित कर रही है ताकि देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता (बीआईएस:10500) के 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) के सेवा स्तर पर नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी सुनिश्चित रूप से प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बढ़े हुए परिव्यय और जेजेएम 2.0 के तहत ग्रामीण पेयजल आपूर्ति क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक पुनर्गठित कार्यान्वयन ढांचे के साथ दिसंबर, 2028 तक जेजेएम के विस्तार को मंजूरी दे दी है।

इस विभाग ने पारदर्शिता, डेटा सटीकता और वास्तविक समय की समीक्षा को सुदृढ़ बनाने हेतु जल जीवन मिशन (जेजेएम) के लिए एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) डिजिटल पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित किया है। जेजेएम के तहत, आईएमआईएस और ऑनलाइन डैशबोर्ड महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पंचायत, जिला जल और स्वच्छता मिशन (डीडब्ल्यूएसएम), राज्य जल और स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम) तथा राष्ट्रीय स्तर पर कार्यशील हैं।

आईएमआईएस पोर्टल पर आंकड़ों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए, विभाग ने एक बहुस्तरीय सत्यापन तंत्र कार्यान्वित किया है। इसमें लाभार्थियों की आधार सीडिंग अनिवार्य करना, सुजलाम भारत ऐप के माध्यम से परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग, पीएम-गतिशक्ति पोर्टल पर पाइपलाइनों से संबंधित सूचना अपलोड करना शामिल है।

इसी तरह, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत, विभाग ने महाराष्ट्र सहित राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तरों पर एसबीएम (जी) के तहत प्रगति की निगरानी के लिए एसबीएम(जी) पोर्टल और डैशबोर्ड- एक केंद्रीकृत पोर्टल (http://swachhbharatmission.ddws.gov.in) और डैशबोर्ड (http://sbm.gov.in/sbmgdashboard/statesdashboard.aspx) भी विकसित किया है।

एसबीएम(जी) डैशबोर्ड महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की एसबीएम (जी) के विभिन्न घटकों पर प्रगति को दर्शाता है, जिसमें खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) प्लस स्थिति, व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (सीएससी) का निर्माण, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) परिसंपत्तियाँ तथा सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) शामिल है।

एसबीएम(जी) के तहत दो मोबाइल ऐप अर्थात् एमएसबीएम और एसबीएम 2.0 विकसित किए गए हैं। एसबीएम(जी) के तहत जो एमएसबीएम मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया गया है उसका उपयोग क्रमशः आईएचएचएल की जियो-टैगिंग तथा एसएलडब्ल्यूएम परिसंपत्तियों (सीएससी सहित) की जियो-टैगिंग के लिए किया जाता है। एसबीएम 2.0 मोबाइल एप्लिकेशन भी कार्यक्रम के तहत निर्मित परिसंपत्तियों को कैप्चर करता है।

सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत जल सेवा आकलन शुरू किया है, जो ग्राम पंचायत के नेतृत्व में समुदाय के स्वामित्व वाला कार्यशीलता मूल्यांकन तंत्र है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण पेयजल सेवा प्रदायगी को सुदृढ़ बनाना है। अब बड़ी संख्या में योजनाएं कार्यशील होने के चलते, यह पहल संरचित सामुदायिक चर्चाओं, ग्राम सभा सत्यापन और डिजिटल डेटा कैप्चर के माध्यम से ग्राम स्तर पर जल सेवाओं की उपलब्धता, नियमितता, पर्याप्तता तथा गुणवत्ता का आकलन करने पर केंद्रित है।
